(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 29/2023

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री युवराज कुमार जाति माली निवासी सोरती बावड़ी के पास, वरर्ड नं. 16, मांगरोल जिला बारां(विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स भाग्यलक्ष्मी किराना स्टोर, बमोरी चौराहा, सुभाष सर्किल के पास, मांगरोल जिला बारॉ (राज.)
2. मैसर्स भाग्यलक्ष्मी किराना स्टोर, बमोरी चौराहा, सुभाष सर्किल के पास, मांगरोल जिला बारॉ (राज.)
3. श्री पीयूष खण्डेलवाल पुत्र श्री हेमंत खण्डेलवाल निवासी भामाशाह मंडी रोड, खण्डेलवाल किराना स्टोर, वार्ड नं. 8, प्रेम नगर तृतीय, कोटा(मालिक) मैसर्स मथुरेश ट्रैडिंग कम्पनी बी–299, प्रेम नगर अफोर्डएबल, कोटा
4. मैसर्स मथुरेश ट्रैडिंग कम्पनी बी–299, प्रेम नगर अफोर्डएबल, कोटा
5. श्री योगेन्द्र कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम आंवली सोनीपत हरियाणा(मालिक) मैसर्स मलिक ब्रदर्स, वार्ड नं. 9, बरोना रोड, पीर बाबा दरगा खरखोदा सोनीपत हरियाणा 131402
6. मैसर्स मलिक ब्रदर्स, वार्ड नं. 9, बरोना रोड, पीर बाबा दरगा खरखोदा सोनीपत हरियाणा 131402

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (II) 51 एफएसएसएक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री नीरज कुमार नागर खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– स्वयं उपस्थित (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 04.09.2023

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.08.2022 को मैसर्स भाग्यलक्ष्मी किराना स्टोर, बमोरी चौराहा, सुभाष सर्किल के पास, मांगरोल जिला बारॉ (राज.) पर पहुंचा। वहॉ श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री युवराज कुमार (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.08.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक/एच/एफएसएसए/(एफ–28)नोटिफिकेशन/2012/172 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझे बास सील संख्या 93 आवंटित की गई एवं श्रीमान् आयुक्त खाद्य [illegible] एवं औषधि नियन्त्रण राज. जयपुर के आदेश दिनांक 09.06.2022 के द्वारा मुझे कार्यक्षेत्र जिला बारॉ आ[illegible] कि[illegible] गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते हैं।

यह कि आवेदक द्वारा नि[illegible] खाद्य पदार्थ प्रीमियम देशी [illegible](RLG Haryana Gold) एक लीटर मूल गत्ते पैक लकड़ी के रेक में [illegible] आम जनता को वि[illegible] [illegible] रखे हुए थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **प्रीमियम देशी घी(RLG Haryana Gold)** में मिलावट अथवा मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:31:00 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **प्रीमियम देशी घी(RLG Haryana Gold)** के 04 मूल गत्ते पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री युवराज कुमार (विक्रेता एवं मालिक) को 1680/– रूपये (अक्षरे सोलह सौ अस्सी रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है। नमूनीकरण के बाद शेष बचे हुए एक–एक लीटर के 15 मूल पैक को अभिग्रहित कर खाद्य कारोबारकर्ता को सुरक्षित अभिरक्षा हेतु सुपुर्द किया जिसका सीजर मीमो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **प्रीमियम देशी घी(RLG Haryana Gold) एक लीटर मूल गत्ते पैक** के चारों भागों पर अलग –अलग प्रत्येक पर लेबल तैयार कर चिपकाये एवं लेबल तैयार कर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1543 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1543 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे कीमत श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री युवराज कुमार (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/252 दिनांक 08.09.2022 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1216/PHL/kota/Act/2022/1218 दिनांक 30.08.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **प्रीमियम देशी घी(RLG Haryana Gold) एक लीटर मूल गत्ते पैक असुरक्षित(Unsafe)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा नमूने के द्वितीय भाग को रेफरल लैब मैसूर से जांच करवाने बाबत् अपील प्रस्तुत की गई जहां से प्राप्त सर्टिफिकेट सं0 RFL/DO/P/615/22/743/2022 दिनांक 25.11.2022 द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ अवमानक(**Sub standard**) होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 12.04.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत न कर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी ग[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:31:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य स[illegible] अ[illegible]री, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण [illegible] जिस खाद्य [illegible] **प्रीमियम देशी घी(RLG Haryana Gold) एक लीटर मूल गत्ते पैक** को वास्ते नमूना [illegible] जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 [illegible] 3(1)(zx) [illegible] तहत **अवमानक(Sub Standard)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि जिस समय खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिया गया, उस समय खाद्य पदार्थ मुख्य व्यक्ति अवकाश पर चले जाने के कारण अन्य कार्मिक द्वारा उसके स्थान पर उक्त कार्य किया जा रहा था। जिसको जानकारी का अभाव होने के कारण उक्त त्रुटि हुई है। जिसे बाद में सही कर दिया गया है। अतः निवेदन है कि हमारे विरूद्ध प्रस्तुत कार्यवाही खारिज फरमायी जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **प्रीमियम देशी घी (RLG Haryana Gold) एक लीटर मूल गत्ते पैक** रेफरल लैब मैसूर के सर्टिफिकेट सं0 RFL/DO/P/615/22/743/2022 दिनांक 25.11.2022 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Sub Standard)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगण को कुल जुर्माना राशि 1,55,000/– रूपये (अक्षरे एक लाख पचपन हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे। साथ हीं अप्रार्थीगण का अभिग्रहीत **प्रीमियम देशी घी(RLG Haryana Gold) एक लीटर मूल गत्ते पैक** के कुल 15 लीटर जो खाद्य कारोबारकर्ता की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा हुआ है, जिसको खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां द्वारा नियमानुसार निस्तारण किए जाने की कार्यवाही कर नष्ट किया जावें।

निर्णय आज दिनांक **04.09.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:31:00 IST
Reason: SelfAttested